फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनाम रामस्वरूप

केस संख्या 7/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/2/18	[illegible] 5/4/18
	5/4/18	[illegible] पीठासीन [illegible] व्यस्त हो। आ[illegible] पूर्वानुसार दिनांक 8/5/18 को रखा जाये।
	03/07/18	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आवाज दिलवाई गई। वादी स्वयं या वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। पत्रावली पर बार-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वाद वादी अदम पैरवी एवं अदम पेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर हो। वाद नकमील कारवाई बाबत है। आदेश आज दिनांक 3/7/2018 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner